लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, **IAS.**

प्रकरण संख्या : 07 / 2024
GCMS NO. : 2024 / 59

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	**अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा**

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 21–08–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 20–06–2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62 एफ 366200) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 02–08–2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक एफ 40(5) एडीएम/ आरटीआई/ 2024/ 73 दिनांक 16–08–2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना वांछित सूचना राजस्व अनुभाग में संधारित नही है। जिस बाबत् अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 58 दिनांक 15.07.2024 से नियमानुसार समयावधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

आज दिनांक 21–08–2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। हमने पत्रावली का एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2024 से वांछित सूचना राजस्व अनुभाग में संधारित नही होने से इस सन्दर्भ में अपीलार्थी को सूचित किया है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है। चूंकि **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को जरिये उनके पत्रांक 58 दिनांक 15.07.2024 रजिस्टर्ड डाक (RR269794022IN) से सूचित किया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)